विनियोग संख्या 76 – संघ लोक सेवा आयोग
APPROPRIATION No. 76–UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*59,99,00*	*64,49,00*	*63,55,59*	*–93,41*
पूरक	*Supplementary*	*4,50,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*74,00*

टीका और टिप्पणियां

1. *विनियोग में,* कुल बचतें (*93.41 लाख रु.*) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए *450.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत*विनियोग*का 1 प्रतिशत थीं।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *appropriation*, the overall savings *(Rs.93.41 lakhs)* constituted 21 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.450.00 lakhs* obtained in March, 2007 and 1 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Saving/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2051''	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	*Public Service Commission*				
मू.	*O.*	*5999.00*	*6375.00*	*6355.59*	*–19.41*
पू.	*S.*	*450.00*			
पु.	*R.*	*–74.00*			

(I) *''संघ लोक सेवा आयोग - परीक्षाओं और चयन पर व्यय'' के अंतर्गत 2055.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग*को *450.00 लाख रु.* का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर *2505.00 लाख रु.* कर दिया गया तथापि, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दावों की प्राप्ति न होने के कारण*234.99 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "*Union Public Service Commission – Expenditure on Examinations and Selections" –* the original *appropriation* of *Rs.2055.00 lakhs* was augmented to *Rs.2505.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.450.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.234.99 lakhs* - due to non-receipt of claims from Ministry of Information and Broadcasting.

2. उपर्युक्त बचतें *''संघ लोक सेवा आयोग - प्रशासनिक व्यय''* के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - *138.52 लाख रु.* का अधिक व्यय (*3911.75 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) अधिकारियों को उनकी पदोन्नति पर पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन एवं भत्तों की अदायगी किए जाने, न्यायालयीन मामलों की संख्या में वृद्धि होने और नवनिर्मित पांच मंजिला भवन के लिए बिजली एवं जल प्रभारों की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क के रूप में वर्ष के दौरान *36.84 लाख रु.* की राशि वसूल की गई जिसे व्यय की कमी के रूप में नहीं लिया जाना था और इसे भारत की समेकित निधि में प्राप्ति के रूप में लिया गया था।

2. The above saving was partly offset by excess under *"Union Public Service Commission - Administrative expenditure"* – excess *Rs.138.52 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.3911.75 lakhs*) was due to payment of arrears of pay and allowances with retrospective effect to the officers on their promotion, increase in number of court cases and payment of electricity and water charges for newly constructed five storeyed building.

3. An amount of *Rs.36.84 lakhs* was realised during the year as fees for examination conducted by the Commission which was not to be taken as reduction of expenditure and was taken as receipt in the Consolidated Fund of India.